Gen. No. 13

64/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2016 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी निवासी बी–12 थर्ड फ्लोर, डा0 लोहिया रोड़, आदर्श नगर, दिल्ली बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

03–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री यागेश टेकवाणी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दि0 23.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, खाद्य विभाग, राज सरकार सचिवालय, जयपुर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1- Quantity of Extra Quota of Wheat, Rice, Suger pulses, Edible oil, Kerosene oil and other PDS items in addition to normal monthly allotment allotted to sriganganagar District/DSO Sri Ganganagar during the period 01/01/2001 to 23/11/2015.
2- Name of the all PDs shops with distribution area to whom the Extra Quota of Wheat, Rice, Sugar Pulses, Edible oil, Kerosene Oil and other PDS items in addtion to normal monthly allotment allotted to Sriganganagar District/DSO Sriganganagar during the period 01/01/2001 to 23/11/2015, has been allotted by the DSO office Sri ganganagar.
3-Copy of the distribution list/Roster as per which the Extra Quota mentioned above in point no 1 has been allotted to the PDS shopkeepers of Sri ganganagar district by DSo office Sri ganganagar during the period of 01/01/2001 to 23/11/2015.
4-Copies of the Monthly return submitted by each PDS shop keeper to the DSO office Sri ganganagar during the period of 01/01/2001 to 23/11/2015 to whom the Extra Quota mentioned above in point no 1 has been allotted by the DSO office Sri ganganagar during the period of 01/01/2001 to 23/11/2015.

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 3114 दिनांक 05.05.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र नोडल अधिकारी सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खा) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र कमांक एफ.102(1)(167)खावि/आरटीआई/2015 दिनांक 03.12.15 के साथ दिनांक 17.12.2015 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक एवं विस्तृत सूचनांए थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' व 7(9) के अन्तर्गत सर्जन करके उपलब्ध करवाना वर्जित होने के कारण व विस्तृत सूचनांए होने के कारण, ऐसी सूचनांए उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य था जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जिस कारण सूचनांए आवेदक को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही होने के कारण आरटीआई की धारा 2''च'' व 7(9) के तहत आवेदन पत्र खारिज कर समयावधि में आवेदक को पत्र कमांक 149 दिनांक 12.01.16 से सूचित कर दिया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 149 दिनांक 12.01.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई सूचनाए प्रश्नात्मक एवं विस्तृत सूचनांए है। उक्त चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने मॉडल, आंकडो संबधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 (16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 से यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है। रिट पैटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकरी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय में भी स्पे0 लीव पेटीशन (सिविल) न0 27734/2012 में दिनांक 03/10/2012 में पारित निर्णय में भी स्पष्ट किया है कि **We are in agreement with CIC and the court below that the details called for by the petitioner i.e copies of memos issued to the third respondent, show cause notices and orders of censure punishment etc.are quqlified to the personal information as defind in clause (i) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee / officer in and organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand the disclosure of which would cause unwarranted infasion of privacy of the individual of course, in a given as, if the Central Public information Officer of the State public information Officer of the Appellate Authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. appropriate orders could be passed but the pettioner cannot claim those details as matter of right.**

अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में में आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उक्तानुसार निश्चित अवधि में ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए तथा विस्तृत व कार्यालय संसाधनो को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए तथा लोक सूचना अधिकारी के पास किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 12.01.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

201-802 3/4/17

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर